(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2017

का.नि.आ. 90.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग कार्यक्रम कार्यालय और सचिवालय, भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग कार्यक्रम कार्यालय और सचिवालय, भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

2. ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग कार्यक्रम कार्यालय और सचिवालय, पद भर्ती नियम, 2013 में, जिसे उसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है नियम 3 में, शब्द "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान" और "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान" के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;

3. उक्त नियमों में अनुसूची में,-

(i) स्तम्भ (4) में, शीर्षक के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शीर्षक रखा जाएगा,

(क) उप कार्यक्रम अधिकारी (जनशक्ति) पद के सामने,-

(i) स्तम्भ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर "स्तर-12 (रु. 78800-209200)" प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी;

(ii) स्तम्भ (11) में "प्रतिनियुक्ति" उप-शीर्षक के अधीन "वेतन बैंड-3, (रु. 15600-39100)+ ग्रेड वेतन 6600 रु." प्रविष्टयों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु. 67700-208700)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(ख) सहायक कार्यक्रम अधिकारी (जनशक्ति) पद सामने,-

(i) स्तम्भ (4) में प्रविष्टयों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु. 67700- 208700)" प्रविष्टयां रखी जाएंगी;

(ii) स्तम्भ (11) में

(क) "प्रतिनियुक्ति" उप-शीर्षक के अधीन मद (ii) में "वेतन बैंड-3, (रु. 15600-39100)+ ग्रेड वेतन 5400 रु." प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु. 56100-177500)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(ख) शब्दों "वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु." प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (रु. 47600-151100)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(ग) सहायक कार्यक्रम अधिकारी (वित्त) पद के सामने,-

(i) स्तम्भ (4) में प्रविष्टयों कें स्थान, पर "स्तर-11 (रु. 67700-208700)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(ii) स्तम्भ (11) में

(क) "प्रतिनियुक्ति" उप-शीर्षक के अधीन मद (ii) में "वेतन बैंड-3, (रु.15600-39100)+ ग्रेड वेतन 5400 रु." प्रविष्टियां के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु. 56100-177500)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(ख) मद (iii) में "वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु." प्रविष्टयों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (रु. 47600-151100)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(घ) सहायक कार्यक्रम अधिकारी (साधारण) पद के सामने,-

(i) स्तम्भ (4) में प्रविष्टयों के स्थान, पर "स्तर-11 (रु. 67700-208700)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(ii) स्तम्भ (11) में

(क) "प्रतिनियुक्ति" के उप-शीर्षक अधीन मद (ii) में "वेतन बैंड-3, (रु. 15600-39100)+ ग्रेड वेतन 5400 रु." प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु. 56100-177500)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(ख) मद (iii) में "वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु." प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (रु. 47600-151100)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(ड.) कनिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी (समन्वय) पद के सामने,-

(i) स्तम्भ (4) में प्रविष्टयों के स्थान, पर "स्तर-10 (रु. 56100-177500)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(ii) स्तम्भ (11) में "प्रतिनियुक्ति" के उप-शीर्षक शब्दों अधीन मद (ii) में "वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु." प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (रु.47600-151100)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

[फा. सं. मासंविनि/16345/आर.आर./पीओ/सी/पी/01/1942/डी(आर एंड डी)/2017]

हर्षा रानी, अवर सचिव

पाद टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 4 का.नि.आ.-66 तारीख 27 सितम्बर 2013, द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(Department Of Defence Research And Development)

New Delhi, the 17th October, 2017

S.R.O. 90.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Department of Defence Research and Development, Programme Office and Secretariat, Recruitment Rules, 2013, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Research and Development, Programme Office and Secretariat, Recruitment(Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Department of Defence Research and Development, Programme Office and Secretariat, Recruitment Rules, 2013 (herein after referred to as the said rules) in rule 3, for the words "pay band and grade pay/pay scale" and "pay band, grade pay or scale of Pay Scale" the words "level in the pay matrix" shall be substituted;

3. In the said rules, in the Schedule,-

(i) in column (4), for the heading, the heading "Level in the pay matrix" shall be substituted;

(a) against the post of Deputy Programme Officer (Manpower),-

(i) in column (4), for the entries, the entries "level-12 (Rs.78800- 209200)" shall be substituted;

(ii) in column-11, under sub-heading 'Deputation' in(ii), for the entries "in the scale of Rs.15600-39100 plus Grade pay of Rs. 6600 in PB-3", the entries "in level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix" shall be substituted;

(b) against the post of Assistant Programme Officer (Manpower),-

(i) in column (4), for the entries, the entries "Level-11 (Rs.67700-208700) shall be substituted;

(ii) in column (11),-

(A) under sub-heading 'Deputation', in (ii), for the entries "in the scale of pay of Rs.15600-39100 plus Grade Pay of Rs 5400 in PB-3" the entries "in level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix" shall be substituted;

(B) in (iii), for the entries "in the scale of pay of Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800 in Pay Band-2", the entries "level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix" shall be substituted;

(c) against the post of Assistant Programme Officer (Finance),-

(i) in column (4), for the entries, the entries "Level-11 (Rs. 67700-208700)" shall be substituted;

(ii) in column (11),-

(A) under sub-heading 'Deputation', in (ii) for the entries "in the scale of pay of Rs.15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 5400 in PB-3" the entries "in level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix" shall be substituted;

(B) in (iii), and for the entries "in the scale of pay of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800 in Pay Band-2", the entries "level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix" shall be substituted;

(d) against the post of Assistant Programme Officer (General),-

(i) in column (4), for the entries, the entries "Level-11 (Rs.67700-208700)" shall be substituted;

(ii) in column (11),-

(A) under sub-heading 'Deputation', in(ii) for the entries "in the scale of pay of Rs.15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 5400 in PB-3" the entries "in level 10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix" shall be substituted;

(B) in (iii), for the entries "in the scale of pay of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800 in Pay Band-2", the entries

"level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix" shall be substituted;

(e) against the post of Junior Programme Officer (Coordination),-

(i) in column (4), for the entries, the entries "Level-10 (Rs.56100-177500) shall be substituted;

(ii) in column (11),-

(A) under sub-heading 'Deputation', in(ii) for the entries "in the scale of pay of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800 in PB-2" the entries "in level 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix" shall be substituted;

[F. No. DHRD/16345/RR/PO/C/P/01/1942/D(R&D)/2017]

HARSHA RANI, Under Secy.

Footnote: The Principal rules were published in the Gazette of India, Part-II Section-4, vide notification number S.R.O. 66 dated 27th September 2013.

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2017

का.नि.आ. 91.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (सुरक्षा) पद भर्ती नियम, 2012 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (सुरक्षा) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनकें प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, समूह 'ग' (सुरक्षा) पद भर्ती नियम, 2012 की अनुसुची में सुरक्षा सहायक पद के सामने में,

(1) स्तम्भ (10) में, प्रविष्टियों के स्थान पर शब्दों "सीधी भर्ती द्वारा" के स्थान पर प्रविष्टि "85% सीधी भर्ती द्वारा, 15% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा" रखी जाएगी

(2) स्तम्भ (11) मे शब्द प्रविष्टि के स्थान पर "लागू नहीं होता" प्रविष्टियां "प्रोन्नति स्तर-1 (रु. 18000-56900) वेतन मैट्रिक्स के ऐसे बहुकार्य कर्मचारिवृंद में से, जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित सेवा कि हो तथा जिसके पास स्तम्भ (7) में वर्णित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं हों, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती के द्वारा" रखी जाएंगी।

[फा. सं. मासंविनि/87661/सुरक्षा संवर्ग/आरआरएस/सी/पी/01/1941/डी(आर एंड डी)/2017]

हर्षा रानी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 96, तारीख 31 अक्तूबर, 2012, द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे। संख्या का.नि.आ. 28, तारीख 20 मार्च 2017 द्वारा उन्हीं में संशोधित किए गए थे।

New Delhi, the 26th October, 2017

S.R.O. 91.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Security) posts, Recruitment Rules, 2012, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Security) posts Recruitment(Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Security) posts Recruitment Rules, 2012, in the Schedule, against the post of Security Assistant 'A',-

(1) in column (10), for the entries "By Direct Recruitment", the entries "85% by direct recruitment and 15% by Limited Departmental Competitive Examination".

(2) in column (11), for the entries "Not applicable", the entries "promotion: from amongst Multi Tasking Staff in Level-1(Rs. 18000-56900) in the pay matrix who have rendered three years regular service and possessing educational and other qualifications prescribed in column (7), failing which by direct recruitment", shall be substituted.

[F. No. DHRD/87661/RRs/Security Cadre/RRs/C/P/01/1941/D(R&D)/2017]

HARSHA RANI, Under Secy.

Notes : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section-4, vide notification number S.R.O. 96, dated the 31st October 2012. The same was amended vide No. S.R.O.28, dated 20th March 2017.

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2017

का.नि.आ. 92.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय (नौसेना) (समूह 'क' राजपत्रित पद, आचार्यत्व काडर) भर्ती नियम, 2007 तथा रक्षा मंत्रालय (नौसेना) (समूह 'क' राजपत्रित पद, प्राध्यापक) भर्ती नियम, 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व

किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला में आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, भारतीय नौसेना अकादमी (आचार्य, सह आचार्य, और सहायक आचार्य) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .—वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
1. सहायक आचार्य	24* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। 18 इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, 06 मानविकी, विज्ञान और प्रबंध	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनतुसचिवीय